[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2023 का विधेयक संख्या 3–एच०एल०ए०

हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2023

मार्च, 2023 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से किन्हीं और कतिपय राशियों का आगे भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा विनियोग (संख्या 1) अधिनियम, 2023, कहा जा सकता है।

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से ₹ 19314,47,12,000/– का दिया जाना।

2. इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची के खाना 11 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक की ऐसी राशियां, जो कुल मिलाकर केवल उन्नीस हजार तीन सौ चौदह करोड़ सैंतालीस लाख बारह हजार रूपए केवल (₹19314,47,12,000/–) होती है, ऐसे विभिन्न खर्चों को चुकाने के लिए, जो उक्त अनुसूची के खाना 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के बारे में, मार्च, 2023 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान भुगतान के सिलसिले में होगी, हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान तथा उपयोग में लाई जा सकेंगी।

विनियोग।

3. इस अधिनियम द्वारा हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान की जाने और उपयोग में लाई जाने के लिए प्राधिकृत राशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, जो मार्च, 2023 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में बताए गए हैं।

अनु

मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	मुख्य शीर्ष	राशियां, जो निम्नलिखित से अधिक न हों		जोड़
		राजस्व	विधान सभा द्वारा किए गए अनुदान	संचित निधि पर प्रभारित	
1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
05	गृह / कारागार / गृह रक्षी और नागरिक सुरक्षा / न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय / अभियोजन / एजीओटी / कानूनी सेवा प्राधिकरण)	2014- न्याय प्रशासन	—	60,09,57,000	60,09,57,000
		कुल	**—**	**60,09,57,000**	**60,09,57,000**
07	राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां		—	—	—
		कुल	**—**	**—**	**—**
08	लोक ऋण		—	—	—
		कुल	**—**	**—**	**—**
12	शिक्षा (उच्चतर / माध्यमिक / प्राथमिक / तकनीकी शिक्षा / महिला एवं बाल विकास)	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2,00,000	—	2,00,000
		कुल	**2,00,000**	**—**	**2,00,000**
19	सिंचाई / उद्योग और वाणिज्य / एमएसएमई / पूर्ति तथा निपटान / विद्युत और नवीनीकरणीय ऊर्जा / विज्ञान और प्रौद्योगिकी	2801- बिजली	546,62,34,000	—	546,62,34,000
		कुल	**546,62,34,000**	**—**	**546,62,34,000**
		कुल जोड़	**546,64,34,000**	**60,09,57,000**	**606,73,91,000**

सूची

मुख्य शीर्ष	राशियां, जो निम्नलिखित से अधिक न हों		जोड़	जोड़
पूंजीगत	विधान सभा द्वारा किए गए अनुदान	संचित निधि पर प्रभारित		राजस्व और पूंजीगत
7	8	9	10	11
	₹	₹	₹	₹
	—	—	—	60,09,57,000
	—	**—**	**—**	**60,09,57,000**
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	171,73,21,000	—	171,73,21,000	171,73,21,000
	171,73,21,000	**—**	**171,73,21,000**	**171,73,21,000**
6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	—	18536,00,00,000	18536,00,00,000	18536,00,00,000
	—	**18536,00,00,000**	**18536,00,00,000**	**18536,00,00,000**
	—	—	—	2,00,000
	—	**—**	**—**	**2,00,000**
	—	—	—	546,62,34,000
	—	**—**	**—**	**546,62,34,000**
कुल जोड़	**171,73,21,000**	**18536,00,00,000**	**18707,73,21,000**	**19314,47,12,000**

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204(1) तथा 205 के अनुसरण में वित्त वर्ष 2022–23 के खर्च के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुपूरक अनुदानों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित राशियों के विनियोग हेतु उपबन्ध करने के लिए पेश किया जाता है।

मनोहर लाल,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़:
दिनांक : 2 मार्च, 2023.

आर० के० नांदल,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 2 मार्च, 2023 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

10239—H.V.S.—H.G.P., Pkl.